न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०– M 23 /2019

धारा–107 द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार बनाम राजेन्द्र प्र० महतो वगै०

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
	अभिलेख सं0–एम 23 /2019, में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी सोनाहातु के अप्राथमिकी सं०– 07/2019 दिनांक– 25/03/19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान अशांति फैलाने की संभावना है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 01/04/19 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। [signature] 26/03/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)। [signature] 26/03/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

पृष्ठ सं०–..................

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
12-07-19	विपक्षी अनुपस्थित। कार्यपालक द०प्र० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 29-07-19 को रखें।
29-07-19	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित। दिनांक 16-08-19 को रखें। 29/07/19
16-08-19	विपक्षी अनुपस्थित। कार्यपालक द०प्र० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 30-08-19 को रखें।
30-08-19	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित। लोकसभा चुनाव 2019 शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है। अतः विपक्षी क्रमांक 06 देवेन्द्रनाथ महतो के विरुद्ध निर्गत वारंट को रिकॉल करते हुए बाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। 30/08/19

प्रस्ताव 01 2.

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.14 15:26:57 +05:30
Location: 10.93.79.5